

2020/00035

## फर्द अहकाम

(नियम-26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)  
श्री दीपचन्द पिता स्व. माणक चन्द डांगी निवासी पुलिस थाने के पास, रावतभाटा  
बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उप रजिस्ट्रार कार्यालय, चित्तौड़गढ़  
किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005  
प्रकरण संख्या 12/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.2020	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री दीपचन्द पिता स्व. माणक चन्द डांगी निवासी पुलिस थाने के पास, मेन रोड, वार्ड नम्बर 05, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ ने सूचना प्राप्त हेतु एक आवेदन दिनांक 04.11.2019 को लोक सूचना अधिकारी, उप रजिस्ट्रार कार्यालय, चित्तौड़गढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। लोक सूचना अधिकारी, उप रजिस्ट्रार कार्यालय, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थी को उक्त आवेदन से चाही गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है।</p> <p>यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। अपील के साथ संलग्न सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी, उप रजिस्ट्रार कार्यालय चित्तौड़गढ़ को सम्बोधित है एवं चाही गई सूचनाएं किसी पंजीकृत सोसायटी से संबंधित है जो कि सहकारिता विभाग का विषय है। लोक सूचना अधिकारी, उप रजिस्ट्रार कार्यालय, चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई की सक्षमता/क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी (अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, उदयपुर, खण्ड उदयपुर) के यहां अपील प्रस्तुत करने के परामर्श के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।</p>	



(चेतनदेव) 120  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी  
(जिला कलक्टर)  
चित्तौड़गढ़ (राज.)